

प्रपत्र-3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर
वन संरक्षक/व.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1.	परियोजना का नाम	भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस - II" के अन्तर्गत मुंगेली जिला के मुंगेली वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत लोरमी ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने कार्य हेतु			
2.	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़			
3.	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वनभूमि की मांग	0.063 हेक्टेयर			
4.	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल	
		मुंगेली	मुंगेली	लोरमी ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायत	
5.	वनभूमि का विस्तृत विवरण				
	क. आरक्षित वन	परिक्षेत्र का नाम	वनखंड का नाम	कक्ष क्र.	क्षेत्रफल हे. में
		खुरिया	दोंग्रिगढ़	490	0.020
	ख. संरक्षित वन	परिक्षेत्र का नाम	वनखंड का नाम	कक्ष क्र.	क्षेत्रफल हे. में
		खुरिया	चचेदी	1522	0.004
	घ. राजस्व वन क्षेत्र	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हे. में
		लोरमी	नवा गांव दयाली	70/1	0.039
कुल योग :-					0.063 हेक्टेयर
6.	आवेदित क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	सामान्य			
7.	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने कार्य में वृक्ष विदोहन नहीं किया जाना है। वृक्षों के विवरण की आवश्यकता नहीं है।			
8.	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	आवेदित क्षेत्र में मृदा के प्राकृतिक पुनरुत्पादन प्रभावित नहीं होंगे			

9.	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	आवश्यकता नहीं है।
10.	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर, बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	हां 1.→ चचेड़ी Comp. 1522 घुटी = 4.0 km 2.→ दोंगड़ीगाँव Comp. 490 घुटी = 2.5 km राज्य वन विभाग द्वारा चलाई गयी Ecosensi- tive Zone की सीमा में है 10km की परिधि।
11.	आवेदित वनक्षेत्र के अलावा अन्य गैर वनक्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।)	मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य किया जाना है अतः अन्य कोई विकल्प नहीं है।
12.	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण देंगे।	निरंक

प्रमाण - प्रत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल : मुंगेली वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत : खुरिया परिक्षेत्र, जिला - मुंगेली छत्तीसगढ़

दिनांक : 08/03/2020

वनमंडलाधिकारी
मुंगेली वनमण्डल,
जिला- मुंगेली, छत्तीसगढ़